तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स **अपील /एलआर/11154/2000/सवाईमाधोपुर** **सियाराम बनाम बाबू व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री राघवेन्द्र सिंह राणावत, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–29.04.2026

1– उक्त अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपील संख्या 161/1992 में पारित निर्णय दिनांक 01–11–1999 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पत्रावली पर सुनी गयी।

3– सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01–11–1999 की जानकारी प्रार्थी अपीलाण्ट को दिनांक 14–06–2000 को हुई जब रेस्पोडेण्ट्स द्वारा राजस्व अभियान में अपीलाधीन आदेश के सम्बंध में कहा कि उक्त भूमि पर हमारा आवंटन आदेश दिनांक 30–06–83 बहाल हो गया है। अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 16–6–2000 को राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर की न्यायालय में जानकारी कर नकल आवेदन प्रस्तुत किया गया और दिनांक 16–06–2000 को नकल प्राप्त हुई तब उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी 14–06–2000 से पूर्व अपीलाण्ट प्रार्थी को नहीं थी, क्योंकि अपीलाण्ट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकीर सवाईमाधोपुर के यहां अपना अधिवक्ता श्री गोपाल लाल शर्मा एडवोकेट को नियुक्त कर रखा था उक्त अधिवक्ता ने अपीलाण्ट को हर तारीख पेशी पर आने से इंकार किया हुआ था और अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट व अपीलाण्ट के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में पारित हुआ है। इसलिए उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलाण्ट को पूर्व में नहीं हो पाई और न ही अपीलाण्ट के अधिवक्ता को जानकारी हुई। जिसके पश्चात् दिनांक 14–06–2000 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होते ही मण्डल के समक्ष अतिरिक्त विलम्ब किये बगैर अपील पेश की गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दिनांक 01–11–1999 से दिनांक 14–06–2000 तक की अवधि को कन्डोन किया जाकर अपील को समयावधि में शुमार किया जावे।

4– तत्पश्चात् अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गयी। उन्होंने लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिलाधीश द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों व रिकार्ड का

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स **अपील /एलआर/11154/2000/सवाईमाधोपुर** **सियाराम बनाम बाबू व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अवलोकन कर दिनांक 07–02–1984 को विपक्षीगण का आवंटन आदेश दिनांक 30–06–83 निरस्त कर दिया तथा भूमि को राजस्व रिकार्ड में आवंटन से पूर्व जिस प्रकार दर्शायी गयी उसी स्थिति में दर्शाने के आदेश प्रदान कर दिये। उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पो0 नम्बर 1 लगायत 6 ने राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (प्रथम) के यहां प्रथम अपील कि बजाय निगरानी पेश की, जिसको राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (प्रथम) ने अपने निर्णय दिनांक 04–09–1990 द्वारा स्वीकार कर लिया और अपर जिलाधीश सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07–02–1984 निरस्त कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 04–09–1990 की जानकारी अपीलाण्ट प्रार्थी को हुई तो अपीलाण्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 41 (21) सपठित धारा 151 जा0दी0 बाबत् निरस्त किये जाने आदेश दिनांक 04–09–1990 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के यहां पेश किया गया जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (प्रथम) ने दिनांक 07–09–1992 को स्वीकार कर निर्णय दिनांक 04–09–1990 निरस्त करते हुए पक्षकारों को अपना पक्ष की पुष्टि व हेतु विधिक सुनवाई का अवसर प्रदत्त करने के पश्चात् गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने के प्रयोजनार्थ आगामी तारीख 20–09–1992 नियत कर दी। उक्त अपील राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर ने दिनांक 01–11–1999 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07–02–1984 में संशोधन करते हुए अपीलाण्ट बाबू, छोटेलाल, सुन्दरदास व गोपाल लाल के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 30–06–1983 बहाल करने के आदेश दे दिये तथा अलादीन, सियाराम की ओर से आवंटन पट्टे प्रस्तुत नहीं किये जाने से उनकी हद तक अपील खारिज कर दी। राजस्व रिकार्ड यथा जमाबंदी एवं खसरा गिरदावरियों में आज तक कब्जा काश्त अपीलार्थी का ही है उक्त पश्चात्वर्ती आवंटियों को कोई कब्जा प्रदान नहीं किया गया है ना ही उनका कब्जा काश्त है। विवादग्रस्त आराजी साबिक नम्बर 123/1 के नये नम्बर 2005, 2003, 2005 व 2006 कुल रकबा 20 बीघा बने है। हाल खसरा नम्बर भू प्रबंध विभाग द्वारा अपीलाण्ट की गैर खातेदारी में दर्ज है, क्योंकि साबिक खसरा नम्बर 123/1 का दिनांक 18–10–1975 को अपीलाण्ट को आवंटन कर दिया गया था और उसका पट्टा भी उसको प्राप्त हो चुका था तथा अपीलाण्ट का कब्जा भी चला आ रहा है और वह काश्त करता चला जा रहा है। प्रश्नगत आराजी का आवंटन उप जिलाधीश गंगापुर द्वारा दिनांक 30–06–1983 को गैर कानूनी रूप से विधिवत न किया जाकर गलत ढंग से रेस्पो0 के पक्ष में किया गया था, क्योंकि विवादग्रस्त आराजी अपीलाण्ट की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि थी। इसलिए उक्त भूमि का पुनः आवंटन नहीं किया जा सकता था। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) नियम 1970 के तहत आवंटन विधि पोषण करके अनआक्यूपाईड भूमि का ही किया जा सकता है। रेस्पो0 का विवादग्रस्त आराजी पर ना तो कब्जा है और ना ही उन्होंने उप जिलाधीश के आवंटन आदेश दिनांक 30–06–1963 की पालना में विधिक कब्जा आज दिनांक तक लिया है व न ही आवंटन नियमों की पालना की गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से यह पूर्णतया प्रमाणित है राजस्व अपील अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया कि उक्त भूमि पर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स **अपील /एलआर/11154/2000/सवाईमाधोपुर** **सियाराम बनाम बाबू व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रेस्पो0 का कब्जा है तथा वह आवंटन आदेश दिनांक 30–06–1983 से काबिज है औन न ही रेस्पो0 द्वारा ऐसा कोई प्रमाण पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया है। आवंटन नियमों के तहत ऐसा आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाता है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01–11–1999 निरस्त किया जावे। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में 2011 आरबीजे पेज 07, 2014 आरबीजे पेज 694, 1973 आरआरडी पेज 566 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5– हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्रावली पर की गयी एकपक्षीय बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित समझतें है। अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थन पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपील प्रस्तुत करने के जो कारण दर्शित किये है वे पर्याप्त एवं संतोषप्रद प्रतीत होते हैं। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाता है।

6– अपीलाण्ट (मृतक) सियाराम ने न्यायालय अपर जिलाधीश सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि उप जिलाधीश गंगापुर द्वारा दिनांक 30–06–1983 को अप्रार्थी/रेस्पोडेण्टगण को ग्राम वजीरपुर की आराजी खसरा नम्बर 130 आवंटित कर दी गयी, जबकि उक्त भूमि तत्समय अपीलाण्ट मृतक सियाराम के गैर खातेदारी में दर्ज थी। उक्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 123 थे। जिसके हाल खसरा नम्बर 2001, 2003, 2005 व 2006 हैं। प्रश्नगत आराजी का गैर खातेदारी का पट्टा मृतक सियाराम के नाम क्रमांक 818 दिनांक 18–10–1975 को जारी हो चुका था। तत्पश्चात् प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी रेस्पोडेण्टगण के नाम दिनांक 30–06–1983 को आवंटित कर दी गयी है। उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। न्यायालय अपर जिलाधीश सवाईमाधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 07–02–1984 के द्वारा अपीलाण्ट मृतक सियाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 स्वीकार कर रेस्पोडेण्टगण के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 30–06–1983 निरस्त कर दिया। अपर जिलाधीश सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07–02–1984 से व्यथित होकर रेस्पो0 ने अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, प्रथम जयपुर के समक्ष प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश की गयी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी प्रथम जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 04–09–1990 के द्वारा अपर जिलाधीश सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–02–1984 निरस्त करते हुए आवंटन आदेश दिनांक 30–06–83 को बहाल रखने के आदेश पारित किये। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स **अपील /एलआर/11154/2000/सवाईमाधोपुर** **सियाराम बनाम बाबू व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रथम जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–09–1990 से व्यथित होकर अपीलाण्ट मृतक सियाराम ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी प्रथम जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 04–09–1990 को निरस्त कर प्रकरण पुनः दर्ज किये जाने बाबत् कथन किया। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी प्रथम जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 07–09–1992 के द्वारा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर करने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर अपने निर्णय दिनांक 01–11–1999 के द्वारा अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपर जिलाधीश सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–02–1984 में संशोधन करते हुए रेस्पो0 के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 30–06–1983 को बहाल रखे जाने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01–11–1999 से व्यथित होकर अपीलाण्ट मृतक सियाराम ने मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश की है। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर की पत्रावली नष्ट हो चुकी होना अवगत करवाया गया है जिसपर मण्डल द्वारा दिनांक 02–05–2025 को उभयपक्ष को उनके पास अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर की पत्रावली से सम्बंधित दस्तावेज हो तो पेश करने बाबत् आदेश दिया गया है। उक्त आदेश की पालना में विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने लिखित बहस के साथ दस्तावेजात पेश किये जिनका अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात में फोटो प्रति कार्यालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी पट्टा क्रमांक 818 दिनांक 18–10–75 संलग्न है। इसके अलावा फोटो प्रति पटवारी हल्का का प्रमाण पत्र संलग्न है। जिसके अनुसार आराजी हाल खसरा नम्बर 2001, 2003, 2005, 2006 अपीलाण्ट सियाराम की गैर खातेदारी में दर्ज होना अंकित है। इसके अलावा फोटो प्रति पर्चा लगान संलग्न है जिसके अनुसार प्रश्नगत आराजी खाता नम्बर 1008 में स्थित खसरा नम्बर 2003, 2005, 2001 व 2006 कुल 4 किता की 2.34 है0 भूमि सियाराम पुत्र किशनलाल जाट के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है। इसके अलावा फोटो प्रति कार्यालय उप जिलाधीश गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसपर पटवारी हल्का वजीरपुर, तहसीलदार गंगापुरसिटी व उप जिलाधीश गंगापुर के हस्ताक्षर हैं के द्वारा प्रमाणित किया गया है कि अपीलाण्ट सियाराम पुत्र किशनसिंह जाट निवासी वजीरपुर तहसील गंगापुर के नाम प्रश्नगत आराजी गैर खातेदारी में दर्ज है। इसके अलावा नकल खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुस्तिकिल काश्त सम्वत् 2047 वर्ष 1990–91, सम्वत् 2048 सन् 1991–92, सम्वत् 2054, सम्वत् 2055 वर्ष 1999, सम्वत् 2056 वर्ष 1999–2000, सम्वत् 2057, 2058, सम्वत् 2060 वर्ष 2003–04, सम्वत् 2063 वर्ष 2006, सम्वत् 2064 वर्ष 2007, सम्वत् 2065 सन् 2008–09 पेश की गयी है जिनमें मृतक सियाराम द्वारा प्रश्नगत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स **अपील /एलआर/11154/2000/सवाईमाधोपुर** **सियाराम बनाम बाबू व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आराजी पर काश्त किया जाना दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलाण्ट मृतक सियाराम को भूमि साबिक खसरा नम्बर 123/1 आवंटित की गयी जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 2001, 2003, 2005 व 2006 कायम किये गये हैं। साबिक खसरा नम्बर 123 बाबत् प्रार्थी सियाराम को गैर खातेदारी का पट्टा नम्बर 818 दिनांक 18–10–1975 को जारी किया जा चुका था। हाल खसरा नम्बर 2001, 2003, 2005 व 2006 अपीलाण्ट की गैर खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी का आवंटन उप जिलाधीश गंगापुर द्वारा दिनांक 30–06–1983 को रेस्पोडेण्ट के पक्ष में किया गया है। चूंकि प्रश्नगत आराजी बाबत् पूर्व में ही प्रार्थी/अपीलाण्ट को दिनांक 18–10–1975 को जरिये पट्टा प्रश्नगत आराजी का आवंटन किया जा चुका था एवं प्रश्नगत आराजी अपीलाण्ट की कब्जे काश्त की भूमि रही है एवं उसकी गैर खातेदारी में दर्ज रही है। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) नियम 1970 के तहत अनओक्यूपाईड भूमि का ही आवंटन किया जा सकता है ऐसी स्थिति में जब प्रश्नगत आराजी पर पूर्व से ही अपीलाण्ट काश्त करता चला आया है एवं भूमि उसके कब्जे काश्त में रही है तो उपरोक्त परिस्थिति में प्रश्नगत आराजी का पश्चात्वर्ती आवंटन आदेश दिनांक 30–06–1983 जो कि रेस्पो0 के पक्ष में किया गया है, विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने त्रुटिपूर्ण रूप से पश्चात्वर्ती आवंटन आदेश दिनांक 30–06–83 को बहाल रखा है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है, क्योंकि प्रश्नगत आराजी पूर्व में ही मृतक अपीलाण्ट सियाराम के गैर खातेदारी का पट्टा जारी किया जा चुका था। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 01–11–1999 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि ''अलादीन, सियाराम की ओर से आवंटन पट्टे प्रस्तुत नहीं किये जाने से खारिज की जाती है।'' चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाण्ट ने फोटो प्रति पट्टा, हल्का पटवारी का प्रमाण पत्र, पर्चा लगान, कार्यालय उप जिलाधीश गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि पेश किये है जिनसे साबित है कि प्रश्नगत आराजी अपीलाण्ट मृतक सियाराम के नाम गैर खातेदारी में दर्ज थी। उपरोक्त तथ्यों दृष्टिगत रखते हुए अपर जिलाधीश सवाईमाधोपुर ने अपीलाण्ट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 स्वीकार कर आवंटन आदेश दिनांक 30–06–1983 को खारिज किया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन/विश्लेषण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपर जिलाधीश सवाईमाधोपुर ने अपना निर्णय दिनांक 07–02–1984 विधिसम्मत रूप से पारित किया था जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। 7– परिणामतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–11–1999 निरस्त किया जाता है व न्यायालय अपर जिलाधीश सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स **अपील /एलआर/11154/2000/सवाईमाधोपुर** **सियाराम बनाम बाबू व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 07–02–1984 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया। (डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा) सदस्य	